

एकल किराएदार द्वारा किराए पर लॉकर लेने के लिए अनुबंध

शाखा का नाम		शाखा का कोड		लॉकर श्रृंखला एवं संख्या		चाभी संख्या:		किराएदार की फोटो
लॉकर का आकार		शाखा शहर श्रेणी		परिचालन का तरीका:				
किराए की वसूली के लिए खाता		ग्राहक आईडी		छूट% :	प्रबंधित ग्राहक	☐ पहला लॉकर ☐ दूसरा लॉकर		
रैंक दर		किराए की दर		छूट का कारण:				

एचडीएफसी बैंक लि. _____ (शाखा का नाम) (इसके बाद जिसे "बैंक" कहा जाएगा) यह मि. _____

(किराएदार/रें का नाम और पता)

_____ को (इसके बाद जिसे किराएदार/रें कहा जाएगा), लॉकर किराए पर देने के लिए सम्मति देता है, और किराएदार/रें पीछे उल्लेखित और समय-समय पर संबंधित बैंक के शर्तों और नियमों के अनुसार जब तक वर्णित शर्तों और नियमों निर्धारित नहीं की जाती है तब तक लॉकर संख्या _____ (लॉकर) को _____ वर्षों के लिए रु. _____ प्रति वर्ष देयता (अग्रिम भुगतान) करने की सम्मति प्रदान करता/ती/ते हैं। किराएदार/रें बैंक लॉकर किराए की वसूली के लिए बैंक को प्रतिवर्ष उपर्युक्त खाते से अग्रिम रूप से डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/ती/ते हैं। इसके बाद किराएदार/रें ऐसी अवधियों और ऐसे नियम व शर्तों को विवेक के आधार पर जारी रख सकते हैं तथा ऐसी दर/दरों पर अग्रिम तौर पर किराए का भुगतान बैंक द्वारा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

नामांकन: ☐ हां (यदि हां, तो कृपया नीचे नामांकन विवरण भरें) / यदि लागू नहीं है तो कृपया काट दें

एकमात्र किराएदार के लिए नामित प्रारूप (फॉर्म SL1) अनुच्छेद 1.5.2 (i) (a)] देखें

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, की धारा 45ZE और बैंकिंग कंपनियों (नामांकन) के नियम 4(1), (1985) के तहत एकमात्र किराएदारों के द्वारा लॉकर के संबंध में नामांकन मैं, _____

(नाम और पता)

अपनी/बालिग की मृत्यु होने पर निम्नलिखित व्यक्ति _____

(शाखा / कार्यालय का नाम और पता जिसमें लॉकर स्थित है)

लॉकर का इस्तेमाल करके उसकी सामग्री को निकालने के लिए नामित करता हूँ, व्यक्ति का ब्योरा निम्नलिखित है.

नामित व्यक्ति का विवरण

नाम, पता एवं संपर्क विवरण	किराएदार के साथ संबंध, यदि कोई है	उम्र	नामांकित व्यक्ति की जन्म तिथि (यदि अल्पवयस्क हो)

अभिभावक का विवरण (यदि नामांकित व्यक्ति अल्पवयस्क है)

(नाम और पता)

गवाह (गवाहों) का नाम, पता (पते) एवं हस्ताक्षर: @:

@केवल अंगूठे के निशान / स्थानीय भाषा घोषणा के मामले में

नामांकन : नहीं, ☐ मैं घोषणा करता/ती हूँ कि मैं नामांकन करने की इच्छा नहीं रखता/रखती हूँ

मैंने पृष्ठ के दूसरे भाग में दिए गए नियम व शर्तों और नियमों को पढ़ लिया है और उन्हें समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने की बाध्यता पर सहमत हूँ। लॉकर संख्या _____ के लिए चाभी संख्या _____ किराएदार को सीलबंद स्थिति में सौंप दी गई है, जिसकी रसीद को किराएदार द्वारा प्राप्त किया गया है।

पीछे के पृष्ठ पर मुद्रित इस अनुबंध की नियम और शर्तों को किराएदार के द्वारा पढ़ा और समझा गया है और उल्लेखित प्रत्येक खंड का पालन करने के लिए सहमत हैं। किराएदार के पास पिछले पृष्ठ पर मुद्रित नियम और शर्तों के साथ इस अनुबंध की प्रति भी है।

लॉकर आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

एचडीएफसी बैंक लि. के लिए (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

तारीख : _____ स्थान : _____

ध्यान दें : फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी संबंधित अनुभागों को पूरी तरह से अपनी संतुष्टि के अनुसार भरना सुनिश्चित करें।

नियम व शर्तें

- रविवार और बैंक के अवकाश को छोड़कर सुरक्षित जमा वॉल्ट कार्यालयीन समय में खुला रहेगा। उक्त दिनों में और निर्दिष्ट समय के दौरान किराएदार/किराएदारों की पहुंच लॉकर तक हो सकती है।
- बैंक के पास लॉकर तक पहुंच के लिए उपरोक्त समय को बदलने की स्वतंत्रता होगी और वह ऐसी शर्तें जोड़ सकता है, जो उसके लिए उपयुक्त हों और इसके लिए बैंक किराएदार/किराएदारों को नोटिस भेजेगा और किराएदार/रेंट इसका पालन करने के लिए बाध्य है।
- किराएदार को बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले लॉकर तक पहुंच के साधनों और नियमों और विनियमों तथा शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा/गी। हालांकि, ऐसे एजेंट की लॉकर तक पहुंच की अनुमति देने से होने वाले नुकसान के लिए बैंक को किसी भी समय पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और न ही वह किसी खर्च के लिए उत्तरदायी होगा तथा किराएदार/रेंट को बैंक को क्षतिपूर्ति करनी/गाना होगी/गा और लॉकर के परिचालन के संबंध में ऐसे एजेंट के कृत्यों के लिए बैंक के खिलाफ किए गए सभी दावों और मांगों पर बैंक को क्षतिपूर्ति देनी होगी और उसे नुकसान से सुरक्षित रखना होगा। बैंक अपने निर्णय द्वारा लॉकर तक ऐसे एजेंट को पहुंच देने से इनकार कर सकता है।
- यदि किराएदार/रेंट लॉकर का परिचालन करने के लिए कोई अधिकृत एजेंट नियुक्त करना चाहता/ते हैं, तो किराएदार/रेंट को ऐसे एजेंट के पक्ष में पॉवर ऑफ अटॉर्नी करवाना होगी और/या बैंक द्वारा आवश्यक किए जा सकने वाले अन्य दस्तावेज बनवाने होंगे तथा वह एजेंट समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किए गए नियमों और विनियमों तथा शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा/गी। हालांकि, ऐसे एजेंट की लॉकर तक पहुंच की अनुमति देने से होने वाले नुकसान के लिए बैंक को किसी भी समय पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और न ही वह किसी खर्च के लिए उत्तरदायी होगा तथा किराएदार/रेंट को बैंक को क्षतिपूर्ति करनी/गाना होगी/गा और लॉकर के परिचालन के संबंध में ऐसे एजेंट के कृत्यों के लिए बैंक के खिलाफ किए गए सभी दावों और मांगों पर बैंक को क्षतिपूर्ति देनी होगी और उसे नुकसान से सुरक्षित रखना होगा। बैंक अपने निर्णय द्वारा लॉकर तक ऐसे एजेंट को पहुंच देने से इनकार कर सकता है।
- किराएदार की मृत्यु होने की स्थिति में, कानूनी वारिस/नामित व्यक्ति लॉकर को परिचालित करने के हकदार होंगे, ऐसे नियम व शर्तों पर बैंक सामग्री को हटाकर या बैंक को चाम्बी सौंपकर उस पर निर्णय ले सकता है या लॉकर का समर्पण कर सकता है। नामित/कानूनी वारिस के अलावा किसी अन्य द्वारा कोई दावा की जाने की स्थिति में बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। किसी किराएदार द्वारा लॉकर की सामग्री हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति को बैंक के नामांकन नियमों के तहत नामांकित किये जाने पर, सामग्री को नामांकन दिशा-निर्देशों के अनुसार वितरित किया जाएगा।
- किराएदार आवश्यकता होने पर बैंक को लॉकर की स्थिति और दशा की जांच करने और कोई भी मरम्मत/समायोजन करने और इसके अलावा लॉकर का इस्तेमाल इससे संबंधित नियम व शर्तों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए लॉकर तक पहुंच प्रदान करेंगे। लेकिन बैंक इसकी जानकारी होने या सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा।
- सभी सहमत किराए आगामी अवधि के लिए संचालन अवधि के अंतिम पर या उसके पहले अग्रिम तौर पर अचूक से भुगतान योग्य होते हैं और बैंक के पास लॉकर की पहुंच देने से इनकार का अधिकार सुरक्षित होता है। किराए का भुगतान नहीं होने पर, फिर चाहे उसकी मांग की जाए या न की जाए या किराए में कोई वृद्धि होने पर बैंक (लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं) किराएदार के खाते से उनको कोई नोटिस दिए बिना कटौती कर सकता है, जो जब कभी भी किराया देय हो और किराया बैंक को भुगतान-योग्य हो, तब बैंक को एतद्वारा उनके खाते से कटौती करने के लिए अधिकृत करते हैं। जब तक पूरा भुगतान नहीं किया जात, किराए का बकाया तत्काल बैंक को प्रति वर्ष 18% ब्याज के साथ भुगतान-योग्य होगा।
- लॉकर के किराए में समय-समय पर लागू कर भी जोड़ा जाएगा।
- बैंक के पास अपने एकमात्र विवेक के आधार पर लॉकर के किराए को संशोधित करने/उसे बढ़ाने का अधिकार होगा और बैंक द्वारा निर्धारित दिनांक से उसका भुगतान करने के लिए किराएदार उत्तरदायी होंगे।
- उसके द्वारा किराए पर लिए गए लॉकर से संबंधित ग्राहक चाम्बी उसके पास रहेगी। यह चाम्बी हमेशा बैंक की संपत्ति रहेगी। मारटर चाम्बी हमेशा बैंक के साथ रहेगी। किराएदार इस बात को समझते हैं कि लॉकर दोनों चाम्बियों द्वारा खोला जा सकता है और किसी एक चाम्बी से नहीं। और लॉकर बंद करने के लिए मारटर चाम्बी आवश्यक नहीं है। किराएदार को इस लॉकर का परिचालन करने की अनुमति केवल ग्राहक चाम्बी के साथ दी जाती है और बैंक द्वारा प्रदान की गई ग्राहक चाम्बी के अलावा अन्य किसी चाम्बी से इस लॉकर का परिचालन करने की अनुमति नहीं होगी।
- यदि किराएदार द्वारा ग्राहक चाम्बी गुम हो जाती है तो उन्हें बिना देरी किए चाम्बी के गुम होने की सूचना लिखित में बैंक को देनी चाहिए। बैंक को एफआईआर/पुलिस शिकायत के साथ क्षतिपूर्ति देकर किराएदार के लिखित अनुरोध पर नई चाम्बी जारी की जाएगी। लॉकर को खोलने की प्रक्रिया के दौरान सभी किराएदार मौजूद रहेंगे। लॉकर को खोलने/लॉकर तोड़ने, गुम चाम्बी को बदलने और लॉकर को बदलने के शुल्क का भुगतान किराएदार द्वारा किया जाएगा। लॉकर, लॉक या चाम्बी के लिए सभी आवश्यक मरम्मत अनन्य रूप से बैंक द्वारा नियुक्त कारीगर द्वारा की जाएगी।
- किराएदार को आगाह किया जाता है कि वे अपने लॉकर की ग्राहक चाम्बी को सुरक्षित रखें और अपने लॉकर का नंबर और/या अपना पासवर्ड (यदि कोई दिया गया है) किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और इसके अलावा अपने विधिवत अधिकृत एजेंट (यदि नियुक्त हो) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ग्राहक चाम्बी न दें। किराएदार ग्राहक चाम्बी की रसीद हासिल करेगा और इस अनुबंध की समाप्ति पर उसे बैंक में जमा कर देगा।
- सभी किराएदारों को लॉकर ब्रांच में लॉकर का समर्पण करने के दौरान मौजूद होना अनिवार्य रूप से जरूरी है।
- इस अनुबंध को जारी रखने के दौरान तथा इसके नियम व शर्तों के अनुसार, उपयोगकर्ता और पहुंच के अनन्य अधिकार के अलावा किराएदार का लॉकर पर कोई अधिकार नहीं होगा। किराएदार लॉकर या उसके किसी हिस्से को स्थानांतरित या लॉकर को किराये पर नहीं दे सकते, न ही दस्तावेज, ज्वेलरी या अन्य मूल्यवान चीजों को जमा करने के अलावा किसी अन्य इस्तेमाल के अनुमति दे सकते और न ही इसका इस्तेमाल किसी विस्फोटक या विनाशक या विभत्स प्रकृति की किसी संपत्ति या ऐसी संपत्ति के लिए किया जा सकता है जिससे बैंक में परेशानी खड़ी हो जाए। किराएदार को लॉकर के इस्तेमाल के कारण हुए इस प्रावधान के उल्लंघन के कारण बैंक द्वारा उठाए गए खर्च या इसके कारण बैंक से की गई कोई मांग, दावा, क्षति, नुकसान, लागत एवं किए गए व्यय, वहन किए गए व्यय से बैंक को क्षतिपूर्ति देनी होगी। उपरोक्त शर्त को पूरा किए जाना सुनिश्चित करने के लिए किराएदार बैंक की आवश्यकतानुसार लॉकर में रखे सामान के निरीक्षण की अनुमति देंगे।
- अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कि बैंक के पास किराएदार के खिलाफ हो सकते हैं, किराए

का भुगतान नहीं करने पर चाहे उनकी मांग की गई हो या न की गई हो तथा अन्य कोई देय या भुगतान योग्य शुल्क या किराएदार द्वारा किसी शर्त के उल्लंघन पर लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए किराएदार के सभी अधिकार, बैंक के एकमात्र विकल्प पर, जब्त कर लिए जाएंगे और बैंक किराएदार के अंतिम ह्रात पते पर डाक से 30 दिन बाद वापसी का नोटिस भेजने के बाद लॉकर को तोड़कर खोलने या सार्वजनिक नीलामी या निजी समझौते द्वारा सभी या किसी सामग्री को बेचने तथा बिक्री से प्राप्त पैसे से देय बकाया किराए और/या अन्य शुल्क, उपरोक्त के संबंध में हुए व्यय, को वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा और इसके बाद यदि कोई अधिशेष उपलब्ध होगा या कोई सामग्री बचेगी तो बैंक उसे किराएदार के पंजीकृत पते पर ऐसी सामग्री को पारसल या अन्य जिम्मेदार साधन से या ऐसे अधिशेष को भुगतान ऑर्डर या डिमांड से उनके जोखिम या जिम्मेदारी पर अग्रोषित कर सकता है या उसे अन्य लॉकर या स्थान पर बिना किसी भुगतान योग्य ब्याज के या भुगतान योग्य किराए पर बनाए रख सकता है या रख सकता है, जैसा बैंक उचित समझे। एक वर्ष से अधिक समय तक लॉकर का परिचालन नहीं होने पर, बैंक अपने एकमात्र विवेक से लॉकर का आवंटन रद्द कर सकता है और लॉकर खोल सकता है, भले ही किराए का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा हो।

- सहमत अवधि की समाप्ति, इस अनुबंध को समाप्त करने के उद्देश्य से पूर्व में ही लिखित में 30 दिन का नोटिस देकर दोनों पक्षों में कोई भी इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है और किराएदार लॉकर की ग्राहक चाम्बी बैंक को उसी दिन या नोटिस की समाप्ति के पहले सुपुर्द कर देंगे। अनुबंध समाप्त होने पर, किराएदार द्वारा बैंक को किए गए अग्रिम किराए के भुगतान की धनवापसी नहीं की जाएगी।
- यदि उपर्युक्त नोटिस नहीं दिया गया है और ग्राहक चाम्बी किराएदार द्वारा नहीं लौटाई जाती है तो लॉकर को किराए पर देना ही बैंक के पास विकल्प होगा, किराए की सहमत अवधि के समापन तिथि के बाद उसका नवीनीकरण किया जाएगा लेकिन इस शर्त जमा राशि के संबंध में बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- बहुत महत्वपूर्ण या तात्कालिक आवश्यकता के कारण, बैंक के पास ऐसी अवधि में वॉल्ट को बंद करने का अधिकार सुरक्षित है जिसे वह आवश्यक समझे और किराएदार को बिना सूचना दिए वह लॉकर के इस्तेमाल करने से इनकार कर सकता है या वह किराएदार को लॉकर से तत्काल सामान बाहर निकालने के लिए कह सकता है तथा इस प्रावधान का पालन नहीं करने के कारण हुए नुकसान के लिए किराएदार जिम्मेदार होंगे।
- बैंक लॉकर के परिचालन के लिए वॉल्ट दरवाजे या लॉक की खराबी के कारण हुए किसी भी विलंब के परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- बैंक के पास न्यायालय के कानून के आदेश या उसमें निहित किसी भी विधान के प्रयोग में लॉकर को तोड़कर खोलने/हवेंद्री लेने और/या लॉकर और सामग्री का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को देने पूर्ण अधिकार होगा तथा ऐसी स्थिति में बैंक लॉकर में रखी सामग्री के किसी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- किराएदार के पते में किसी भी बदलाव की सूचना उनके द्वारा लिखित में बिना किसी विलंब के बैंक को दी जानी चाहिए और बैंक के बही-खाते में दर्ज किराएदार के पंजीकृत पते पर बैंक द्वारा डाक से भेजे गए किसी भी नोटिस को विधिवत सेवा माना जाएगा।
- इस अनुबंध के जारी रहने के दौरान, बैंक लॉकर में रखी सामग्री को हुए किसी भी नुकसान या खराबी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही वह नुकसान बारिश, आग, बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने, सैन्य विद्रोह, युद्ध, दंगा या किसी अन्य कारण से हुआ हो, जो कि बैंक के नियंत्रण में नहीं है और लॉकर के बाहर किराएदार द्वारा छोड़े गए किसी सामान के कारण हुए उन्हें नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
- यह साफ तौर पर समझ लिया गया है कि बैंक और किराएदार के बीच संबंध किराएदार और किराए पर रखने वाले जैसे होंगे, बैंक और ग्राहक जैसे नहीं होंगे।
- लॉकर में रखी पूरी संपत्ति बैंक द्वारा प्राप्त की जाती है और उसके अधिकार में होती है, यह किराएदार की ओर से देय पैसे के लिए ग्रहण अधिकार के अधीन है, इसके तहत बैंक के पास अभुगतानित देय पैसे की ऋणमुक्ति के लिए ऐसी संपत्ति या उसके कुछ हिस्से को बेचने का अधिकार है।
- बैंक ऐसी सभी सामान्य चेतावनियों का इस्तेमाल करेगा जिन्हें वह उचित समझता है, बैंक लॉकर में जमा आइटम के कारण होने वाले किसी क्षति या नुकसान का दायित्व या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा। तदनुसार, किराएदार को उनके हित में बैंक के लॉकर में जमा किसी आइटम का मूल्य सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।
- किराएदार बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए तथा लॉकर को किराए पर लेने के लिए अपनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करने की बाध्यता पर सहमत है।
- किराएदार बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे और बैंक को सभी और किसी भी क्षति, नुकसान, लागत, खर्च, कृत्यों, कार्रवाइयों से हर समय हुए नुकसान से बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करके सुरक्षित रखना होता जो किराएदार द्वारा किसी नियम व शर्त के उल्लंघन के कारण हो सकता है।
- इस अनुबंध और लॉकर को किराए पर लेने के परिणामस्वरूप सभी मामलों/मुद्दों के लिए, पक्षों का मामला महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थिति न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आएगा।
- बैंक लॉकर के आवंटन के समय अपने विवेक के आधार पर सावधि जमा को संयुक्त किराएदार की ओर से लॉकर के किराए के भुगतान की सुरक्षा के रूप में प्राप्त करेगा। एकल किराएदार द्वारा लॉकर के किराए का भुगतान नहीं किए जाने पर बैंक के पास पुनर्ग्रहण करने और उक्त सावधि जमा को सेट ऑफ करने का अधिकार होगा।
- हम इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि हमने इस अनुबंध की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है।

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्रो-रेटा वसूल किराया (रुपए)	प्राप्ति तिथि:	प्राधिकर्ता एवं सत्यापनकर्ता:	SDB संख्या:	हस्ताक्षर सत्यापित (आरंभक):	नाम, हस्ताक्षर और कर्मचारी. लॉकर के संरक्षक का कोड	नाम, हस्ताक्षर और कर्मचारी. शाखा प्रबंधक/बैंकअप का कोड
	CPU को भेजे जाने की तिथि:					